न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्याः— 12 / 07 / 2024 रजू दिनांकः 05.01.2024 रजि0 न0 2024 / 7

अपीलार्थीः—

श्री नरेन्द्र शर्मा पुत्र जीवन राम शर्मा, निवासी जनता कॉलोनी अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः—

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः— 29.01.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 14.12.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 15.01.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक लो0सू0अ0 / प्रथमअपील / 2023 / 11303 दिनांक दिनांक 12.01.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है। कि अपीलार्थी नरेन्द्र शर्मा पुत्र जीवन राम शर्मा, निवासी जनता कॉलोनी अलवर, जिला अलवर द्वारा आवेदन दिनांक 14.12.2023 प्रस्तुत कर वांछित सूचना चाही गई जिसके संबंध में न्यास कार्यालय के पत्रांक 10482 दिनांक 20.12.2023 के द्वारा चाही गई वांछित सूचना विशिष्टीयां रहित एवं प्रश्नात्मक है के संबंध में सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है की प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अस्पष्ट एवं अपूर्ण है। बिन्दु संख्या 1 एवं बिन्दु संख्या 2 कार्यालय अभिलेख एवं कार्यालय से सबंधित सूचना होने के कारण देयता की श्रैणी में आती है। एवं बिन्दु संख्या 3,4,5 काल्पनिक / विशिष्टीयां रहित एवं प्रश्नात्मक प्रतीत होती है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। एवं प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि बिन्दु संख्या 1 व बिन्दु संख्या 2 के द्वारा चाही गई वांछित सूचना अपीलार्थी को 10 दिवस में उपलब्ध कराई जावें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज0) ★

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)